न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

99

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1318–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–4–14 पारित द्वारा तहसीलदार, कालापीपल जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 37/अ–70/2011–12.

1– रतनलाल पिता चुन्नीलाल
2– नन्नुलाल पिता हजारीलाल
3– शिवप्रसाद पिता गौरेलाल
4– मांगीलाल पिता मुन्नालाल
5– रामसिंह पिता गंगाराम
6– नारायण सिंह पिता कालुराम
7– लालजीराम पिता देवबगस
8– मदनलाल पिता तुलसीराम
9– मोतीलाल पिता पन्नालाल
10– रामप्रसाद पिता चुन्नीलाल
11– रामप्रसाद पिता मिश्रीलाल
12– तेजसिंह पिता बावलसिंह
13– हरिप्रसाद पिता जगन्नाथ
14– रामकिशन पिता बटललाल
15– घुड़ीलाल पिता मुन्नालाल
16– शीतलसिंह पिता मिट्ठूलाल
17– शिवचरण पिता मोहनलाल
18– बापूलाल पिता खुमानसिंह
19– देशराज पिता कुंवरजी
20– शोभाराम पिता बापूलाल
21– बद्रीप्रसाद पिता हरजी
22– राधेश्याम पिता भागीरथ
23– ठाकुरप्रसाद पिता चुन्नीलाल
24– कमलसिंह पिता चुन्नीलाल
25– सूरजसिंह पिता चुन्नीलाल
निवासीगण ग्राम गुनपीपली
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– जुझार सिंह पिता भेरूसिंह
2– नन्दलाल पिता भेरूसिंह
3– खामसिंह पिता भेरूसिंह
निवासीगण ईमलीखेड़ा
कृषक ग्राम गुनपीपली
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम गुनपीपली स्थित उनके स्वामित्व की भूमि पर आवेदकगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार, कालापीपल जिला शाजापुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ–70/2011–12 दर्ज कर दिनांक 7–4–14 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को सौपे जाने का आदेश दिया गया एवं आवेदकगण द्वारा पुनः कब्जा न करें इस हेतु 10,000/– रूपये के बन्धपत्र शासन हित में निष्पादित करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार को संहिता की धारा 250 (3) के अन्तर्गत साक्ष्य लेने के उपरान्त कब्जा सौंपने सम्बन्धी आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं करने में उनके द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का वर्ष 1960, उनके पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, अतः अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य है, क्योंकि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत दो वर्ष के अन्दर कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा जानकारी के दिनांक से 6 माह के भीतर ही कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा अन्तरिम रूप से कब्जा

सौजपने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण के पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, जहां वे प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा केवल कब्जा हटाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है और तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर